न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 296/2014

बउनवान

संतोषबाई पत्नी श्री मॉगीलाल जाति–मीणा निवासी आकेडी
तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांटा)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री दुल्हेसिंह, अभिभाषक **(अपीलांटा)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक 25.03.2019

1– अपीलांटा ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 21.04.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बडां, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 172 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म गै.मु.ना.का.का. पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 500/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

2– अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटा को बिना सुनवायी जवाबदेहीं का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांटा का अतिक्रमित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है ना हीं उसके ओर कोई तावान राशि बकाया है। अपील अन्दर मियाद पेश की गयी है। अतः अपीलांटा की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.04.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांटा व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांटा ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व स्वयं का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांटा का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसको हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एंव पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांटा ने कब्जा छोड दिया है। अपीलांटा भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करेगी। अतः अपीलांटा की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांटा के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांटा विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 385/13 निर्णय दिनांक 08.03.2013 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांटा व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांटा का मुख्य कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व बिना सुनवाई किये एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। अपीलांटा पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है ना ही उक्त आराजी पर कब्जा है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटा को विधिवत नोटिस जारी कर, सुनवाई व जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी सिवायचक भूमि है जिसपर अपीलांटा पश्चात्वर्ती रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटा को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 385/13 निर्णय दिनांक 08.03.2013 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांटा की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 460/14 में पारित आदेश दिनांक 21.04.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2019 को सरे इजलास सुनाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official